भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4003

19.03.2021 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में मानव-पशु संघर्ष

4003. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के हासन जिले में मानव बस्ती में एक तेंदुए की मौत की घटना सहित मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि सरकार के संज्ञान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हासन जिले सहित कर्नाटक में मानव-पशु संषर्घ की कुल कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मानव-पशु संघर्षों के पीड़ितों हेतु मुआवजे के भुगतान हेतु कोई नीति तैयार की है और जानवरों द्वारा हमला किए जाने पर लोगों/पशुओं के इलाज हेतु सुविधा स्थापित की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान मुआवजा पाने वाले पीड़ितों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : सरकार ने मानव-पशु संघर्षों की घटनाओं का संज्ञान लिया है, जिसमें हासन जिले के अरसिकरे तालुक के बनावरा हुबली के बेंदाकेरेटण्डा गांव में हाल ही में हुई एक तेंदुए की मौत की घटना शामिल है।

(ग) : कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हासन जिले सहित कर्नाटक में मानव-पशु संघर्षों की घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:

श्रेणी	घटनाओं की संख्या
फसल को हुआ नुकसान	78705
मारे गए मवेशी	8996
मानव का घायल होना	573
स्थायी अशक्तता	13
मनुष्य की मौत	145
संपत्ति की हानि	600

(घ) और (ड.) : मंत्रालय वन्यजीव और इनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए, वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें जान-माल की क्षति सहित वन्यजीवों द्वारा किए गए उपद्रव के मामले में अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाने वाला मुआवज़ा शामिल है।

मंत्रालय ने वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में निम्नानुसार वृद्धि की है:

क्रम सं.	जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति की प्रकृति	अनुग्रह राहत की राशि (लाख रूपए में)
(क)	मानव की मौत अथवा स्थायी अशक्तता	5 लाख रूपए
(ख)	गंभीर चोट	2 लाख रूपए
(ग)	मामूली चोट	उपचार की लागत 25000/-रूपए तक
(घ)	संपत्ति/फसलों की क्षति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का अनुपालन कर सकती हैं।

कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मानव-पशु संघर्षों के कारण प्रभावित लोगों को निम्नानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है:

क्षति/जख्म का प्रकार	अनुग्रह राशि (लाख रूपए में)
जंगली जानवरों द्वारा जख्मी होने का मामला	0.30
स्थायी अशक्तता	5.00
मनुष्य की मौत	7.50

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में मनुष्य की मौत और स्थायी अशक्तता के मामले में मृतक व्यक्ति के वैध वारिस को 5 वर्षों के लिए 2000/- रूपए प्रति माह की मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा, कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमलों में घायल लोगों के इलाज पर केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना की दरों के अनुसार व्यय किया जाता है। मानव-पशु संघर्ष में घायल हुए जंगली जानवरों की पशु-चिकित्सकों द्वारा जांच की जाती है और यदि इन्हें जंगल में छोड़ने के लिए अस्वस्थ पाया जाता है तो इन्हें कर्नाटक के चिड़ियाघर प्राधिकरण के बचाव केंद्रों में भेजा जाता है।

कर्नाटक राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं तथा भुगतान की गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(च) : भारत सरकार द्वारा देश में मानव-पशु संघर्ष के प्रबंधन और उपशमन हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव-पशु संघर्ष से निपटने के लिए दिनांक 06.02.2021 को एक परामर्शिका जारी की है।

II. मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन स्कीमों के तहत सहायता दिए जाने वाले विस्तृत कार्यकलापों में पर्यावास संवर्धन, जल-संवर्धन शामिल हैं।

III. भौतिक अवरोंधों जैसे सौर ऊर्जा चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का प्रयोग करके जैव-बाड़, चार-दीवारी, वनों के चारों ओर पशु-रोधी खाईयां आदि के निर्माण/परिनिर्माण हेतु भी निधियां आबंटित की जाती हैं।

IV. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जंगली जानवरों द्वारा नुकसान के कारण दिए जाने वाले मुआवजे का एक घटक भी शामिल है।

V. संघर्ष से बचने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-प्रस्तावित बाघ रिज़र्वों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र से गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण को भी केंद्र-प्रायोजित योजना: 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है।

VI. जनसंचार की विभिन्न विधाओं के माध्यम से सूचना के प्रसार सहित मानव-पशु सघर्ष के संबंध में आम जनता को संवेदनशील बनाने, मार्ग-दर्शन और परामर्श देने के लिए आवधिक जन-जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया है।

VII. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे वन क्षेत्रों में 33 के.वी. तक की बिजली की तारों को भूमिगत करके उपयोग करें और पारेषण लाइनों के झुकाव को रोकने के लिए उनका अनुरक्षण भी करें।

VIII. भारत सरकार ने मानव-बाघ/मानव-तेंदुआ/मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)/दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

IX. मंत्रालय ने वर्ष 2018 में जंगली जानवरों द्वारा उपद्रव मचाए जाने के मामले में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अनुग्रह राहत राशि में वृद्धि की है।

X. भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) (वर्ष 2020 से प्रभावी) के संशाधित प्रचालन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों द्वारा जंगली जानवरों द्वारा हमला किए जाने के कारण हुए फसलों के नुकसान के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जा सकती है।

XI. संरेखीय अवसंरचनाओं जैसे रेल की पटरियों, सड़कों/राजमार्गों और संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन्यजीव बहुल क्षेत्रों से गुजर रही विद्युत पारेषण लाइनों के साथ-साथ के क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्षों के उपशमन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सभी संरेखीय अवसंरचना विकास एजेंसियां, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर वन्यजीवों के लिए मार्ग सबंधी योजनाएं प्रस्तुत करेंगी।

XII. मंत्रालय ने वन्यजीवों की आबादी के प्रबंधन के लिए प्रतिरक्षा-गर्भनिरोधक उपायों को शुरू करने हेतु एक परियोजना अनुमोदित की है।

*****

अनुबंध

'कर्नाटक में मानव-पशु संघर्ष' के संबंध में श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना द्वारा दिनांक 19.03.2021 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4003 के भाग (घ) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कर्नाटक राज्य में मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं और दी गई अनुग्रह राशि का ब्यौरा

(कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(लाख रूपए में)

वर्ष	फसल को नुकसान		मवेशी का मारा जाना		मनुष्यों का घायल होना		स्थायी अशक्तता		मनुष्य की मौत		संपत्ति का नुकसान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2017-18	27525	1369.16	2862	206.47	204	67.75	04	7.02	35	222.81	159	7.46
2018-19	19913	1028.13	2637	199.53	144	59.35	03	6.37	26	127.97	96	5.94
2019-20	20951	1122.90	2149	173.17	122	48.75	4	16.55	50	272.50	203	12.35
2020-21	10316	620.85	1348	105.71	103	42.13	2	11.47	34	255.00	142	9.36